



# गरवी गुजरात

RNI No. GUJHIN/2011/39228  
GARVI GUJARAT

अहमदाबाद से प्रकाशित दैनिक

वर्ष : 15

अंक : 335

दि. 08.04.2026,

बुधवार

पाना : 04

किंमत : 00.50 पैसा

## लोकतंत्र का निर्णायक पड़ाव: थमा शोर, अब जनता के फैसले की बारी

गुवाहाटी/कोच्ची। चुनावी शोरगुल, रैलियों की गूंज, नेताओं के तीखे भाषण और वादों की झड़की के बीच आखिरकार वह क्षण आ ही गया जब लोकतंत्र अपनी सबसे शांत लेकिन सबसे प्रभावशाली अवस्था में प्रवेश करता है। असम, केरल और केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार अभियान मंगलवार की शाम थम गया और इसके साथ ही साइलेंट पीरियड लागू हो गया। अब न कोई बड़ी रैली होगी, न ही सियासी बयानबाजी का शोर सुनाई देगा। अब केवल मतदाताओं को उसका विवेक ही चुनावी परिणाम तय करेगा। 9 अप्रैल को इन तीनों क्षेत्रों में एक ही चरण में मतदान होगा और 4 मई को जनता का फैसला सामने आएगा।

यह चुनाव केवल सत्ता परिवर्तन या सरकार गठन का माध्यम नहीं है, बल्कि यह तीन अलग-अलग राजनीतिक और सामाजिक संस्कृतियों वाले क्षेत्रों में जनता की प्राथमिकताओं, उम्मीदों और अस्तित्व का प्रतिबिंब भी है। असम, जहां जातीय, क्षेत्रीय और राष्ट्रीय मुद्दों का मिश्रण देखने को मिलता है; केरल, जहां राजनीतिक चेतना और वैचारिक संघर्ष की गहरी परंपरा

है; और पुडुचेरी, जहां स्थानीय समीकरण और छोटे-छोटे मुद्दे भी निर्णायक भूमिका निभाते हैं—इन सभी जगहों पर यह चुनाव अपने-अपने तरीके से बेहद महत्वपूर्ण बन गया है। असम की बात करें तो यहां लगभग 2.5 करोड़ मतदाता अपने मतधिकार का प्रयोग करेंगे। इनमें पुरुष और महिला मतदाताओं की संख्या लगभग बराबर है, जो राज्य में संतुलित भागीदारी को दर्शाता है। खास बात यह है कि करीब 5.75 लाख युवा मतदाता पहली बार वोट डालेंगे, जो इस चुनाव को और भी रोचक बना देता है। 126 विधानसभा सीटों पर 722 उम्मीदवार मैदान में हैं और बहुमत का आंकड़ा 64 है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन तक राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने ताबड़तोड़ रफाएं कीं, जबकि मुख्यमंत्री डॉ. हिमंत बिस्वा सरमा ने राज्य के विभिन्न हिस्सों में प्रचार किया। दूसरी ओर कांग्रेस ने भी अपने नेताओं के साथ पूरी ताकत लगाई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोमोई की सक्रियता साफ नजर आई। हालांकि इस बार चुनाव



प्रचार केवल विकास और नीतियों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप ने भी माहौल को काफी गर्म कर दिया। मुख्यमंत्री की पत्नी को लेकर लगाए गए आरोपों ने सियासत को और अधिक तीखा बना दिया, जिससे चुनावी मर्यादाओं पर भी सवाल उठे।

केरल में चुनावी तस्वीर कुछ अलग है। यहां राजनीति केवल पार्टियों के बीच नहीं बल्कि गठबंधनों के बीच लड़ी जाती है। 140 सीटों पर 890 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं और बहुमत के लिए 71 सीटों की जरूरत है। राज्य में लगभग 2.71 करोड़ मतदाता हैं, जिनमें

महिलाओं की संख्या पुरुषों से अधिक है, जो सामाजिक जागरूकता और भागीदारी का संकेत देता है। केरल की राजनीति में इस बार भी मुख्य मुकामला वामपंथी गठबंधन और कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ के बीच है। मुख्यमंत्री पिनरई विजयन और विपक्ष के नेता वी.डी. सतीशन इस

चुनाव के प्रमुख चेहरे बनकर उभरे हैं। राहुल गांधी की सक्रियता ने कांग्रेस को नई ऊर्जा देने की कोशिश की है, जबकि भाजपा भी अपने नेताओं के जरिए अपनी उपस्थिति मजबूत करने में लगी रही। कुछ सीटों पर बागी उम्मीदवारों और स्थानीय समीकरणों ने मुकामले को और दिलचस्प बना दिया है, जिससे यह स्पष्ट हो जाता है कि केरल में चुनाव केवल विचारधारा का नहीं बल्कि व्यक्तिगत विश्वसनीयता और स्थानीय जुड़ाव का भी है। पुडुचेरी में भले ही सीटों की संख्या केवल 30 हो, लेकिन यहां की राजनीति भी कम दिलचस्प नहीं है। कुल 9.44 लाख मतदाता इस चुनाव में हिस्सा लेंगे और 16 सीटों का बहुमत सरकार बनाने के लिए जरूरी होगा। यहां पांच सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जो सामाजिक प्रतिनिधित्व को सुनिश्चित करती हैं। पुडुचेरी की राजनीति में स्थानीय मुद्दों, विकास कार्यों और छोटे-छोटे गठबंधनों की बड़ी भूमिका होती है। यहां हर सीट पर मुकाबला कड़ा है और अक्सर छोटे अंतर से जीत-हार तय होती है, जिससे चुनाव परिणामों की भविष्यवाणी करना

बेहद कठिन हो जाता है। साइलेंट पीरियड का महत्व भी इस पूरे चुनावी प्रक्रिया में बहुत खास होता है। यह वह समय होता है जब मतदाता बिना किसी बाहरी प्रभाव, प्रचार या दबाव के अपने निर्णय पर विचार करता है। चुनाव आयोग द्वारा लागू किया गया यह नियम लोकतंत्र की निष्पक्षता को बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है। इस दौरान कोई भी राजनीतिक दल या उम्मीदवार मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए प्रचार नहीं कर सकता। यह समय जनता को अपने अनुभव, उम्मीदों और भविष्य की जरूरतों के आधार पर सही प्रतिनिधि चुनने का अवसर देता है। इस बार के चुनाव में कई बड़े मुद्दे भी चर्चा में रहे हैं। असम में विकास, पहचान और प्रशासनिक पारदर्शिता प्रमुख मुद्दे रहे, जबकि केरल में रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य और राजनीतिक स्थिरता पर बहस हुई। पुडुचेरी में स्थानीय विकास, बुनियादी सुविधाएं और प्रशासनिक दक्षता मुख्य मुद्दे रहे। हालांकि इन सबके बीच व्यक्तिगत आरोप-प्रत्यारोप और राजनीतिक बयानबाजी ने भी काफी सुर्खियां बटोरीं,

जिससे यह साफ हो गया कि भारतीय राजनीति में भावनात्मक और व्यक्तिगत पहलू भी उतने ही प्रभावशाली हैं जितने कि नीतिगत मुद्दे। अब जब प्रचार थम चुका है, तो सभी राजनीतिक दलों की नजरें 9 अप्रैल के मतदान पर टिकी हैं। हर पार्टी अपने-अपने समीकरणों और रणनीतियों के आधार पर जीत का दावा कर रही है, लेकिन असली फैसला तो मतदाता ही करेगा। यह चुनाव न केवल सरकार बनाएगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि आने वाले वर्षों में इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेश की दिशा क्या होगी। लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहां अंतिम निर्णय जनता के हाथ में होता है। चाहे कितनी भी बड़ी रैलियां हों, कितने भी बड़े वादे किए जाएं या कितनी भी तीखी बयानबाजी हो, अंत में एक वोट ही सब कुछ बदल सकता है। असम, केरल और पुडुचेरी के मतदाता अब उसी ऐतिहासिक जिम्मेदारी को निभाने के लिए तैयार हैं। 9 अप्रैल को जब वोटिंग होगी, तो हर वोट केवल एक बटन दबाने की क्रिया नहीं होगी, बल्कि वह भविष्य की दिशा तय करने वाला निर्णय होगा।

## मणिपुर में फिर खून से सनी रात: बिष्णुपुर धमाके ने छीन ली मासूमियत, इंटरनेट बंद कर हालात संभालने की कोशिश

इंफाल। मणिपुर एक बार फिर हिंसा की आग में झुलस उठा है, जहां बिष्णुपुर जिले की एक शांत रात अचानक चौथों और धमाकों से दहशत में बदल गई। मंगलवार देर रात मोड्रंगों ड्रैगलाओवी इलाके में हुए एक भीषण बम विस्फोट ने न केवल एक परिवार को तबाह कर दिया, बल्कि पूरे राज्य को झकझोर कर रख दिया। इस हमले में दो मासूम बच्चों की जान चली गई, जबकि उमकी मां गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद से इलाके में भय, गुस्सा और असुरक्षा का माहौल गहय गया है, और लोग सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं।



बताया जा रहा है कि यह हमला संदिग्ध कुकी उग्रवादियों द्वारा किया गया, जिन्होंने रात के अंधेरे का फायदा उठाते हुए एक घर को निशाना बनाया। जिस समय यह घटना हुई, उस समय पूरा परिवार गहरी नींद में था। रात करीब एक बजे अचानक एक बम आकर घर पर गिरा और तेज धमाके के साथ सब कुछ तहस-नहस कर गया। घर के भीतर सो रहे दो छोटे बच्चे—एक पांच साल का मासूम और एक छह महीने की बच्ची—इस इलाके में भय और असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि अगर समय रहते उचित कदम उठाए गए होते, तो शायद इस तरह की दर्दनाक घटना को रोकना जा सकता था। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की।

मणिपुर पहले से ही जातीय तनाव और हिंसा की घटनाओं से जूझ रहा है, और इस तक सब कुछ खत्म हो चुका था। उनकी आंखों के सामने उनके परिवार की खुशियां एक ही पल में उजड़ गईं। इस घटना ने न केवल एक परिवार को तोड़ा है, बल्कि पूरे राज्य में भय और असुरक्षा की भावना को और गहरा कर दिया है। घटना के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश देखने को मिला। लोग सड़कों पर उतर आए और सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल उठाने लगे। उनका कहना है कि अगर समय रहते उचित कदम उठाए गए होते, तो शायद इस तरह की दर्दनाक घटना को रोकना जा सकता था। विरोध प्रदर्शन के दौरान लोगों ने सरकार से कड़ी कार्रवाई की मांग की और दोषियों को जल्द से जल्द पकड़ने की अपील की।

बाधा के रूप में देख रहे हैं। लेकिन मौजूदा हालात को देखते हुए सरकार के पास सीमित विकल्प ही नजर आते हैं। इस घटना ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर कब तक मासूम लोग इस तरह की हिंसा का शिकार होते रहेंगे। जिन बच्चों ने अभी दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, वे इस तरह की क्रूरता का शिकार बन गए। यह केवल एक आपराधिक घटना नहीं है, बल्कि यह मानवता पर एक गहरा आघात है। सुरक्षा एजेंसियां अब इस मामले की जांच में जुट गई हैं और हमलावरों की तलाश जारी है। इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं और संवेदनशील क्षेत्रों में गिरावनी बंदूकें लगा दी गई हैं। प्रशासन का दावा है कि दोषियों को जल्द ही पकड़ लिया जाएगा और उन्हें कड़ी सजा दी जाएगी। मणिपुर के लिए यह समय बेहद चुनौतीपूर्ण है। एक ओर सरकार को कानून-व्यवस्था बनाए रखनी है, तो दूसरी ओर लोगों के बीच विश्वास बहाल करना भी उतना ही जरूरी है। इस तरह की घटनाएं न केवल शारीरिक नुकसान पहुंचाती हैं, बल्कि समाज के ताने-बाने को भी कमजोर करती हैं। आज पूरा राज्य इस घटना से स्तब्ध है। हर किसी के मन में एक ही सवाल है—क्या मासूमों की यह कुर्बानी बेकार जाएगी, या फिर इससे कोई सबक लिया जाएगा? जब तक इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, तब तक मणिपुर की रातें शायद इसी डर और अनिश्चितता में गुजरती रहेंगी।

नई दिल्ली। देश के सबसे संवेदनशील और बहुचर्चित मामलों में से एक, सबरीमाला विवाद, एक बार फिर न्यायपालिका के केंद्र में आ गया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई शुरू करते हुए नए न्यायाधीशों की संविधान पीठ का गठन किया है, जो 2018 के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ दखिल समीक्षा याचिकाओं पर विचार करेगी। यह मामला केवल एक मंदिर या एक परंपरा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह भारतीय संविधान, धार्मिक स्वतंत्रता, लैंगिक समानता और सामाजिक न्याय के बीच संतुलन की एक गहरी परीक्षा बन चुका है। सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने पूरे विमर्श को नई दिशा दे दी। उन्होंने स्पष्ट कहा कि किसी महिला को महीने के तीन दिन 'अछूत' मानना और फिर चौथे दिन उनसे इस श्रेणी से बाहर रखना न तो कानून के अनुरूप है और न ही संविधान की भावना के अनुरूप। यह टिप्पणी उस समय आई जब सॉलिडिटर जनरल तुषार मेहता ने 2018 के फैसले में की गई उस व्याख्या पर आपत्ति जताई, जिसमें 10 से 50 वर्ष की आयु की महिलाओं के मंदिर प्रवेश पर रोक को 'अछूतता' से जोड़ा गया था। इस बहस ने यह साफ कर दिया कि मामला केवल प्रवेश का नहीं, बल्कि उस सोच का है जो महिलाओं के वैयक्तिक पहलुओं को सामाजिक और धार्मिक प्रतिबंधों का आधार बनाती है।

2018 में सुप्रीम कोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में सबरीमाला मंदिर में सभी आठ वर्ष की महिलाओं को प्रवेश की अनुमति दी थी। इस फैसले को लैंगिक समानता की दिशा में एक बड़ा कदम माना गया था, लेकिन इसके खिलाफ देशभर में व्यापक विरोध भी देखने को मिला। कई लोगों का तर्क था कि यह मंदिर की परंपराओं और धार्मिक मान्यताओं में हस्तक्षेप है, जबकि समर्थकों ने इसे महिलाओं के अधिकारों की जीत बताया। अब जब इस फैसले की समीक्षा हो रही है, तो एक बार फिर वही पुराने सवाल नए सिरे से उठ खड़े हुए हैं। संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत किसी भी रूप में अछूतता को प्रतिबंधित किया गया है। 2018 के फैसले में न्यायमूर्ति डी.वाई. चंद्रचूड़ ने यह कहा था कि मासिक धर्म के आधार पर महिलाओं को मंदिर में प्रवेश से रोकना भी अछूतता का एक रूप है। इस दृष्टिकोण ने पारंपरिक धार्मिक मान्यताओं और आधुनिक संवैधानिक मूल्यों के बीच टकराव को स्पष्ट रूप से सामने ला दिया। सॉलिडिटर जनरल ने इस पर कड़ी आपत्ति जताते हुए कहा कि इस तरह की व्याख्या भारतीय समाज की वास्तविकता को गलत तरीके से प्रस्तुत करती है और यह मान लेना कि महिलाओं के साथ ऐसा व्यवहार 'अछूतता' है, एक अतिशयोक्ति हो सकती है। इस पूरे मामले को सुनवाई के लिए गठित नौ

जजों की संविधान पीठ की अध्यक्षता मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्रकांत कर रहे हैं। उनके साथ न्यायमूर्ति वी.वी. नागरत्ना, एम.एम. सुंदरराज, अहमदुल्लाह अमनुल्लाह, अरविंद कुमार, ए.जी. मलिक, प्रसन्न बी. चार्ल्स, आर. महदेवन और जोयमलया बागी इस पीठ का हिस्सा हैं। इतनी बड़ी पीठ का गठन इस बात का संकेत है कि अदालत इस मामले को बेहद गंभीरता से देख रही है और इसके दूरगामी प्रभावों को समझते हुए फैसला लेना चाहती है। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि इस मामले में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। पीठ ने सभी पक्षों की वकीलों को निर्देश दिया है कि वे तय समयसीमा का सख्ती से पालन करें, क्योंकि अदालत के समक्ष कई अन्य महत्वपूर्ण मामले भी लंबित हैं। इससे यह संकेत मिलता है कि कोर्ट इस मामले में जल्द से जल्द निष्कर्ष तक पहुंचना चाहता है। उम्मीद जताई जा रही है कि 22 अप्रैल तक इस मामले में सभी पक्षों की दलीलें पूरी हो जाएंगी। इस मामले में सात महत्वपूर्ण संवैधानिक सवालों पर विचार किया जा रहा है, जो अनुच्छेद 25 और 26 के तहत धार्मिक स्वतंत्रता की सीमा और उसकी व्याख्या से जुड़े हैं। ये सवाल केवल सबरीमाला तक सीमित नहीं हैं, बल्कि देश के अन्य धार्मिक स्थलों और परंपराओं पर भी असर डाल सकते हैं। अदालत यह तय करेगी कि क्या किसी धार्मिक संस्था को

अपनी परंपराओं के आधार पर कुछ वर्गों को बाहर रखने का अधिकार है, या फिर संविधान के तहत सभी नागरिकों को समान अधिकार मिलना चाहिए। यह मामला भारतीय समाज के उस हंद्र को भी उजागर करता है, जहां एक ओर सदियों पुरानी धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं हैं, और दूसरी ओर आधुनिक संविधान और समानता के सिद्धांत। यह केवल कानून का सवाल नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सोच और मानसिकता का भी प्रश्न है। क्या परंपराओं को बदलना चाहिए, या उन्हें उसी रूप में बनाए रखना चाहिए—यह बहस अब न्यायालय के दायरे में आ गई है। सबरीमाला विवाद ने यह भी दिखाया है कि भारतीय लोकतंत्र में न्यायपालिका की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। जब समाज में किसी मुद्दे पर सहमति नहीं बन पाती, तब अदालत ही अंतिम निर्णय का मंच बनती है। लेकिन इस प्रक्रिया में अदालत को बेहद संतुलित दृष्टिकोण अपनाना होता है, ताकि किसी भी पक्ष के अधिकारों का हनन न हो। अब पूरे देश की नजर इस पर टिकी है कि सुप्रीम कोर्ट इस जटिल और संवेदनशील मामले में क्या फैसला देता है। यह निर्णय न केवल सबरीमाला मंदिर के भविष्य को प्रभावित करेगा, बल्कि यह भी तय करेगा कि भारत में धार्मिक स्वतंत्रता और लैंगिक समानता के बीच संतुलन किस दिशा में जाएगा।

## मतदाता सूची पर सियासी संग्राम: ममता बनर्जी के आरोपों से गरमाया बंगाल का चुनावी माहौल

कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजनीति में चुनावी हलचल के बीच अब मतदाता सूची का मुद्दा एक बड़े सियासी विवाद का रूप ले चुका है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) प्रक्रिया को लेकर भारतीय चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा है कि इस प्रक्रिया में न केवल आम नागरिकों के नाम काटे गए हैं, बल्कि धार्मिक और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों को भी निशाना बनाया गया है। उनके इस बयान ने राज्य की राजनीति में एक नई बहस को जन्म दे दिया है, जहां लोकतांत्रिक प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे हैं। नदिया और उत्तर 24 परगना जिलों में आयोजित चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए ममता बनर्जी ने जिस तरह से चुनाव आयोग पर सीधे-सीधे आरोप लगाए, उससे यह साफ हो गया कि यह मुद्दा अब केवल प्रशासनिक प्रक्रिया तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। उन्होंने विशेष रूप से स्वामी विवेकानंद द्वारा स्थापित रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन, साथ ही मंदर टेरेसा द्वारा स्थापित मिशनरीज ऑफ चैरिटी का जिक्र करते हुए कहा कि इन संस्थाओं से जुड़े लोगों के नाम भी मतदाता सूची से हटाए गए हैं। उनके अनुसार, यह न केवल चौकाने वाला है बल्कि लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों के खिलाफ भी है। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि मिशनरीज ऑफ चैरिटी से जुड़े लगभग 300 लोगों के नाम रामकृष्ण मठ और रामकृष्ण मिशन के संन्यासियों के नाम भी इस प्रक्रिया में



काट दिए गए। उन्होंने इसे एक सुनियोजित कार्रवाई करार देते हुए कहा कि जिन संस्थाओं का समाज सेवा और मानवता के लिए इतना बड़ा योगदान रहा है, उनके सदस्यों को इस तरह मताधिकार से वंचित करना बेहद चिंताजनक है। इस बयान के बाद यह मुद्दा और भी संवेदनशील हो गया है, क्योंकि इसमें धार्मिक और सामाजिक संगठनों की प्रतिष्ठा भी जुड़ गई है। ममता बनर्जी ने अपने भाषण में यह भी आरोप लगाया कि एसआईआर प्रक्रिया के दौरान विशेष रूप से उन जिलों को निशाना बनाया गया, जहां अल्पसंख्यकों और सामाजिक रूप से पिछड़े वर्गों की आबादी अधिक है। उन्होंने मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर, दक्षिण 24 परगना, उत्तर 24 परगना और नदिया जैसे जिलों का नाम लेते हुए कहा कि इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। उनके अनुसार, यह केवल एक संयोग नहीं हो सकता, बल्कि इसके पीछे एक सोची-समझी रणनीति हो सकती है। उत्तर 24 परगना के बनावग उप-मंडल का उदाहरण देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा

कि वहां मतदाता समुदाय के लोगों को विशेष रूप से निशाना बनाया गया है। इसी तरह नदिया के चकदाहा और हरिणघाटा तथा गाइघाटा क्षेत्रों में भी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने की बात कही गई। उन्होंने इसे लोकतांत्रिक अधिकारों पर सीधा हमला बताते हुए कहा कि किसी भी नागरिक का वोट उसका सबसे बड़ा अधिकार होता है और उसे इस तरह से छीनना उचित नहीं है। इस पूरे विवाद के बीच राजनीतिक माहौल और भी गर्म हो गया है। जहां एक ओर तृणमूल कांग्रेस इस मुद्दे को जनता के बीच जोर-शोर से उठा रही है, वहीं विपक्षी दलों की ओर से भी इस पर अलग-अलग प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। चुनाव आयोग की ओर से हालांकि इस मामले में अभी तक विस्तृत प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है, लेकिन यह स्पष्ट है कि आयोग की कार्यप्रणाली और उसकी निष्पक्षता को लेकर सवाल उठने लगे हैं। विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया का उद्देश्य आमतौर पर मतदाता सूची को अपडेट करना, मृत या स्थानांतरित हो चुके मतदाताओं के नाम हटाना और नए मतदाताओं को जोड़ना होता है। लेकिन जब इस प्रक्रिया को लेकर इस तरह के आरोप सामने आते हैं, तो यह न केवल प्रशासनिक बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हो

जाता है। यह सवाल उठाना स्वाभाविक है कि क्या इस प्रक्रिया में कहीं कोई त्रुटि हुई है या फिर यह केवल राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप का हिस्सा है। बंगाल की राजनीति पहले ही बेहद संवेदनशील और प्रतिस्पर्धी रही है, जहां हर मुद्दा तेजी से सियासी रूप ले लेता है। ऐसे में मतदाता सूची जैसे गंभीर विषय पर उठे सवाल चुनावी माहौल को और भी जटिल बना सकते हैं। यह केवल एक राज्य का मामला नहीं है, बल्कि पूरे देश के लोकतांत्रिक ढांचे से जुड़ा विषय है, क्योंकि चुनाव आयोग की विश्वसनीयता और निष्पक्षता पर जनता का विश्वास ही चुनावी प्रक्रिया की नींव होता है। अब देखा यह होगा कि इस मुद्दे पर आगे क्या कार्रवाई होती है। क्या चुनाव आयोग इन आरोपों पर स्पष्टीकरण देगा, या फिर यह विवाद चुनावी रैलियों और भाषणों तक ही सीमित रह जाएगा। लेकिन इतना तय है कि ममता बनर्जी के इस बयान ने चुनावी बहस को एक नया मोड़ दे दिया है और आने वाले दिनों में यह मुद्दा और भी तूल पकड़ सकता है। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर यह याद दिला दिया है कि लोकतंत्र में केवल मतदान ही नहीं, बल्कि मतदाता सूची की शुद्धता और पारदर्शिता भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। जब तक हर योग्य नागरिक का नाम सूची में शामिल नहीं होगा, तब तक लोकतंत्र की प्रक्रिया अधूरी मानी जाएगी। ऐसे में इस तरह के आरोपों की निष्पक्ष जांच और पारदर्शी समाधान बेहद जरूरी हो जाता है, ताकि जनता का विश्वास बना रहे और लोकतांत्रिक व्यवस्था मजबूत हो सके।

गरवी गुजरात हिन्दी

Jio TV CHENNAL NO. 2002

Jio Air Fiber

Jio tv+

Jio Fiber

Daily Hunt

ebaba Tv

Dish Plus

DTH live OTT

Rock TV

Airtel

Amezone Fire

Roku Roku Tv-US.UK

देश-दुनिया के नवीनतम समाचार प्राप्त करने के लिए आज ही गरवी गुजरात हिंदी चैनल देखिये

## संपादकीय ट्रंप के बिगड़े बोल

अमेरिका के इतिहास में शायद ही कोई डोनाल्ड ट्रंप जैसा अधीर, अपरिपक्व बयानवीर और व्यापारी सोच का राष्ट्रपति हुआ हो। संयम व गरिमा शब्द उनके शब्दकोश में ही नहीं हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में अमेरिका-इस्त्राएल युद्ध के चरम के बीच उन्होंने जिन अपशब्दों का प्रयोग ईरान के लिये किया, वो उनकी हताशा को ही दर्शाता है। उनके बयानों की पूरी दुनिया के साथ अमेरिका के भीतर भी कड़ी आलोचना हुई है। आज अमेरिका के नागरिक भी सोचते होंगे कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोकतंत्र में राष्ट्रपति को इतने निरंकुश अधिकार देना क्या प्रजातंत्र के हित में है? निश्चित रूप से होमुजु जलडमरूमध्य को लेकर, अपशब्दों और धार्मिक संदर्भों के साथ तेहरान को दी गई चेतावनी, ट्रंप के आवेगपूर्ण उक्तियों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। एक महाशक्ति के मुखिया द्वारा ऐसी सतही भाषा का प्रयोग न केवल अशोभनीय है बल्कि घातक परिणामों की ओर ले जाने वाला भी है। जाहिरा तौर उनकी धमकियाँ ईरान को बातचीत की मेज पर लाने के बजाय, उसे और आक्रामक तरीके से जवाबी कार्रवाई करने को उकसाएंगी। दरअसल, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप यह जताने की असफल कोशिश कर रहे हैं कि मौजूदा युद्ध मध्ययुगीन धर्मयुद्ध का विस्तार है। जिसमें सदियों तक ईसाई और मुसलमान आपस में वर्चस्व के लिये युद्ध करते रहे हैं। उन्होंने राजनीति में धार्मिक भावनाओं का भरपूर इस्तेमाल करते हुए ईरान में मार गिराए गए अमेरिकी फाइटर जहाज के पायलट के बचाव को 'ईस्टर का चमत्कार' बताने से भी गुरेज नहीं किया। जाहिरा तौर पर पुनरुत्थान और आशा का प्रतीक माने जाने वाले ईसाई धर्मावलंबियों के एक पवित्र दिन का हवाला देना, सैन्य अभियान को नैतिक और दैवीय रंग देने का ही एक असफल प्रयास है। निश्चित तौर पर इस तरह की सतही बयानबाजी एक जटिल भू-राजनीतिक संघर्ष को धार्मिकता की एक सरल कहानी में बदलने का जोखिम पैदा करती है। जो ट्रंप की सैन्य अभियान की तार्किकता सिद्ध करने की विफलता को भी दर्शाती है। यही वजह है कि अमेरिकी सांसदों ने यह पता लगाने के लिये जांच की मांग की है कि क्या धार्मिक मान्यताओं का प्रयोग सैन्य कार्रवाई को सही ठहराने के लिये किया जा सकता है? निश्चित रूप से उन सांसदों की चेतावनी एक मूलभूत लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, वो हैं चर्च और राज्य का पृथक्करण का सिद्धांत। उनका तर्क है कि सैन्य निर्णय कानून, रणनीति और जवाबदेही द्वारा निर्देशित होने चाहिए, न कि ईश्वर या बाईबल की भविष्यवाणियों का हवाला देकर। निश्चित रूप से ट्रंप की इन आक्रामक बयानबाजियों और कारगुजारियों की कीमत आने वाले वर्षों में अमेरिकियों को चुकानी पड़ सकती है। वहीं दूसरी ओर ट्रंप की गैरजिम्मेदार धमकियाँ पश्चिमी एशिया में अमेरिकी रक्षा कमियों के जीवन को भी खतरों में डाल सकती हैं। वहीं दूसरी ओर गुप्त राजनयिक प्रयासों को भी पटरी से उतार सकती हैं। दुनिया की महाशक्ति के सबसे शक्तिशाली नेता होने के नाते, उन्हें यह जरूर समझना चाहिए कि उनके बेतुके शब्दों से अमेरिकी विदेशी नीति को अपूर्णतया क्षति पहुंच सकती है। जाहिरा तौर पर सशक्त नेतृत्व के लिये जिम्मेदारों के साथ विश्वसनीयता और स्पष्टता भी बेहद जरूरी है। ऐसे में ट्रंप की हथियार बनाने का उनका यह प्रयास घोर हताशा को ही दर्शाता है। जो इस बात की भी पुष्टि करता है कि अमेरिकी जनता ने एक व्यक्ति की क्षमताओं से कहीं अधिक दायित्व उन्हें सौंपा है। जिसकी वजह यह भी है कि ट्रंप ईरान की क्षमताओं का आकलन करने में चूके हैं। वे जमीनी हकीकत से इतर लगातार अमेरिका की जीत के दावे कर रहे हैं। जब कि वास्तविकता यह है कि सब कुछ खत्म करने के दावों के बावजूद ईरान अमेरिका व इस्त्राएल को पूरी टक्कर दे रहा है। यह खाड़ी में न केवल अमेरिका के मित्र देशों को निशाना बना रहा है बल्कि इस्त्राएल के भीतर व मध्यपूर्व में अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर बड़े हमले को भी दर्शा है। ट्रंप के बड़े-बड़े दावों के बावजूद न तो ईरान में सत्ता परिवर्तन ही हुआ है और न ही यह तय हो पाया कि ईरान भविष्य में परमाणु क्षमता हासिल नहीं कर सकता है। उल्टे अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता में तेजी से गिरावट आई है।

## अभियान

### आस्था की सीमाएँ या समावेश का प्रश्न: चार धाम में उठता नया विमर्श

हिमालय की गोद में बसे उत्तराखंड के चार धाम—गंगोत्री, यमुनोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ—भारतीय आध्यात्मिक परंपरा के ऐसे स्तंभ हैं, जिन पर करोड़ों लोगों की आस्था टिकी हुई है। यह केवल तीर्थ नहीं, बल्कि जीवन की एक यात्रा हैं, जहां पहुंचकर व्यक्ति अपने भीतर झांकता है, अपने कर्मों का मूल्यांकन करता है और ईश्वर से जुड़ने का प्रयास करता है। हर वर्ष जब यात्रा आरंभ होती है, तो देश के कोने-कोने से ही नहीं, बल्कि विदेशों से भी श्रद्धालु इन धामों की ओर खिंचे चले आते हैं। लेकिन इस मुद्दा सामने आया है, जिसने धार्मिक, सामाजिक और संवैधानिक बहस को जन्म दे दिया है।

गंगोत्री धाम और मुखबा क्षेत्र में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की बात ने लोगों के बीच कई तरह के सवाल खड़े कर दिए हैं। मंदिर से जुड़े ट्रस्ट का कहना है कि यह निर्णय सनातन परंपराओं की पवित्रता को बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है। उनके अनुसार, इन स्थानों को केवल पर्यटन स्थल के रूप में नहीं देखा जा सकता, क्योंकि यहां हर नियम और व्यवस्था धार्मिक मान्यताओं के

अनुरूप चलती है। यह सोच इस बात को दर्शाती है कि मंदिर प्रशासन इन धामों की आध्यात्मिक गरिमा को बनाए रखने के लिए गंभीर है।

इस निर्णय के पीछे जो भावना है, वह नई नहीं है। भारत में कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं, जहां प्रवेश को लेकर विशेष नियम बनाए गए हैं। कुछ मंदिरों में केवल हिंदुओं को ही प्रवेश की अनुमति है, तो कुछ स्थानों पर विशेष वेशभूषा या आचार-व्यवहार का पालन अनिवार्य होता है। इन नियमों को वहां की परंपरा और धार्मिक मान्यता के आधार पर स्वीकार किया गया है। लेकिन गंगोत्री में लिया गया यह कदम इसलिए अधिक चर्चा में है, क्योंकि यह अपेक्षाकृत नया है और चार धाम जैसे व्यापक महत्व वाले स्थल से जुड़ा हुआ है।

इस पूरे घटनाक्रम का दूसरा पहलू भी उतना ही महत्वपूर्ण है। भारत एक लोकतांत्रिक देश है, जहां संविधान हर नागरिक को समानता और स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ऐसे में किसी भी सर्वजनिक धार्मिक स्थल पर किसी विशेष समुदाय के लोगों के प्रवेश पर रोक लगाने का सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है। यह बहस केवल कानून तक

सीमित नहीं रहती, बल्कि यह समाज की सोच और उसकी दिशा को भी प्रभावित करती है।

चार धाम यात्रा का महत्व केवल धार्मिक नहीं है, बल्कि यह उत्तराखंड की आर्थिक जीवन्तरेखा भी है। हर साल लाखों लोग यहां आते हैं, जिससे स्थानीय व्यापार, होटल, परिवहन और अन्य सेवाओं को बढ़ावा मिलता है। इस पूरी व्यवस्था में अलग-अलग समुदायों के लोग जुड़े होते हैं—कोई दुकानदार है, कोई छोड़े-खचर चलता है, कोई गाइड है, तो कोई होटल या ढाबा संचालित करता है। यदि प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया जाता है, तो इसका सीधा असर इन लोगों की आजीविका पर पड़ सकता है।

इसके अलावा, चार धाम यात्रा में विदेशी पर्यटकों की भी बड़ी भूमिका होती है। कई विदेशी नागरिक भारतीय संस्कृति, योग, ध्यान और आध्यात्मिकता से प्रभावित होकर इन स्थलों की यात्रा करते हैं। वे यहां केवल घूमने नहीं, बल्कि सीखने और अनुभव करने आते हैं। ऐसे में यदि उनके प्रवेश पर रोक लगाई जाती है, तो यह भारत की वैश्वक छवि पर भी असर डाल सकता है। भारत को हमेशा से एक ऐसे देश के रूप में देखा गया है, जहां

विविधता को अपनाया जाता है और हर संस्कृति का सम्मान किया जाता है। हालांकि, यह भी सच है कि मंदिरों की अपनी एक आंतरिक व्यवस्था और परंपरा होती है, जिसे बनाए रखना उनका अधिकार है। हर धार्मिक स्थल अपनी मान्यताओं के अनुसार नियम तय करता है और श्रद्धालुओं को अपेक्षा करता है कि वे उनका पालन करें। गंगोत्री के संदर्भ में भी ट्रस्ट का यही तर्क है कि वे केवल अपनी परंपराओं की रक्षा करना चाहते हैं, न कि किसी के साथ भेदभाव करना। इस मुद्दे का एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि अभी तक इस संबंध में कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। चार धाम का प्रबंधन देखने वाली समिति ने केवल इस विषय पर विचार करने की बात कही है। इसका मतलब यह है कि यह मुद्दा अभी चर्चा के स्तर पर है और इस पर अंतिम निर्णय लिया जाना बाकी है। ऐसे में यह कहना कि यह नियम जल्द ही अन्य धामों में भी लागू हो जाएगा, अभी केवल अटकलौं पर आधारित है। समाज में इस विषय को लेकर अलग-अलग प्रतिक्रियाएँ सामने आ रही हैं। कुछ लोग इसे आस्था और परंपरा की रक्षा के रूप में देख रहे हैं, तो कुछ इसे

असमानता और भेदभाव के रूप में मान रहे हैं। यह विभाजन इस बात का संकेत है कि यह मुद्दा कितना संवेदशील है और इसे कितनी सावधानी से संभालने की आवश्यकता है। यह भी जरूरी है कि इस विषय पर कोई भी निर्णय लेने से पहले सभी पक्षों की राय ली जाए। केवल मंदिर प्रशासन या किसी एक समूह की सोच के आधार पर लिया गया निर्णय समाज के अन्य वर्गों को प्रभावित कर सकता है। इसलिए संवाद और सहमति इस पूरे मुद्दे का सबसे महत्वपूर्ण पहलू होना चाहिए। आज के समय में जब दुनिया तेजी से बदल रही है और समाज अधिक खुला और जागरूक हो रहा है, ऐसे में परंपराओं और आधुनिकता के बीच संतुलन बनाए एक बड़ी चुनौती बन गया है। एक ओर हम अपनी सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर हम एक ऐसे समाज की कल्पना करते हैं, जो समावेशी और समानता पर आधारित हो। चार धाम जैसे पवित्र स्थलों के संदर्भ में यह संतुलन और भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि यहां लिए गए निर्णय केवल स्थानीय नहीं, बल्कि राष्ट्रीय और

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रभाव डालते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि हर कदम सोच-समझकर और सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर उठाया जाए। अंततः यह कहा जा सकता है कि गंगोत्री में गैर-हिंदुओं के प्रवेश पर रोक का मुद्दा केवल एक नियम का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक विमर्श का हिस्सा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने धार्मिक स्थलों को किस रूप में देखना चाहते हैं—क्या वे केवल एक विशेष समुदाय के ब्लॉक रखा जाता है। लेकिन 40 दिन के लिए ऐसा करना किसी बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक केंद्र बनने, जहां हर व्यक्ति सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रवेश कर सके। भारत की पहचान उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। यहां हर धर्म, हर संस्कृति और हर परंपरा को स्थान मिला है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम किसी भी निर्णय को इस दृष्टिकोण से देखें कि वह हमारी इस पहचान को मजबूत करता है या कमजोर। आस्था का सम्मान करना जिना जरूरी है, उतना ही जरूरी है समाज में समरसता और एकता को बनाए रखना। यही वह संतुलन है, जो हमें आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखा सकता है।

# रणनीति में युद्ध समाप्ति कला की अहमियत

आजकल युद्ध खत्म नहीं होते। खिंचते जाते हैं, अपना स्वरूप बदल रहे हैं और खुद को जायज ठहराते हैं। यह रणनीति नहीं है। यह रणनीतिक रूपरेखा की असफलता है। मैंने युद्धों को खत्म होते देखा, और उन्हें खत्म होने से इनकार करते भी। सेना में, हमें युद्ध शुरू करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। हम आरंभिक व्यूह रचना, जोरदार हमले, शत्रु का घेरा तोड़ने व इच्छाशक्ति कुचलने का अध्ययन करते हैं। युद्ध का विस्तार करना समझते हैं। लेकिन एक अन्य शांत अनुशासन है जो कभी रणनीति को परिभाषित करता था, लेकिन अब धीरे-धीरे धुंधला रहा है। वह है, रुकने की कला। जिन संघर्षों का अंत बढ़िया हुआ, उनकी संरचना सौधी-सादी थी। दुश्मन को पूरी तरह मिटाना नहीं, बल्कि उद्देश्य में स्पष्टता रखना। तब, किसी में इतनी हिम्मत होती थी कि वह फैसला कर सके कि मिशन पूरा हो गया है। इसलिए नहीं कि दुश्मन का खान्ता हो गया, बल्कि इसलिए कि काम पूरा हो गया था। बल का इस्तेमाल हुआ। तयबतदा सीमा तक पहुंचे। फिर आया सबसे मुश्किल आदेश: रुको। घर वापसी करो। आज, वह मादा गायब है। कोई फैसला नहीं करता। संघर्ष खिंचते रहते हैं। बिना किसी तय अंत वाला युद्ध कोई अभियान नहीं होता। यह तो जान-माल की हानि के साथ भटकाव है।

भारत का 'गोल्ड स्टैंडर्ड' (सर्वोच्च मानक) : हमें किसी मानक की तलाश करने की जरूरत नहीं है। साल 1971 में, भारत ने आधुनिक इतिहास के सबसे निर्णायक अभियानों में से एक को अंजाम दिया। यह सिर्फ जीत नहीं थी। यह उसके बाद बरते गए संयम का उदाहरण था। हम वाप रूके नहीं रहे। हमने अपनी जीत को कब्जे में नहीं बदला। हमें भान था कि 'पूरा हुआ काम' कैसे दिखता है। 1988 में मालदीव में, हमने दखल दिया, व्यवस्था बहाल की और वापसी कर ली। पीछे कुछ बाकी नहीं छोड़ी। कोई अन्य एजेंडा नहीं। प्रभाव अधिकतम, दखल न्यूनतम। यहां तक कि श्रीलंका में भी, जहां पर



हालात बहुत पेचीदा थे, हमने तब पीछे हटने का अनुशासन दिखाया, जब हमें लगा कि अब वहां से कुछ खास हासिल नहीं होने वाला। भारत का संयम सिर्फ इसमें नहीं था कि उसने क्या किया, बल्कि इस बात में भी था कि उसने किन चीजों पर हमला न करना चुना। बुनियादी ढांचे को कभी भी निशाना नहीं बनाया। इसी आधारभूत ढांचे पर किसी भी समाज का जीवन टिका होता है। इसे तबाह करने का मतलब है, उन्हीं लोगों को सजा देना जिनके नाम पर अक्सर युद्धों को सही ठहराया जाता है। इसी अनुशासन ने हमारी वैधता को बनाए रखा। 'ऑपरेशन सिंदूर' पर गौर कीजिए। सटीक। तय परिधि में। उद्देश्यपूर्ण। लक्ष्य हासिल। काम पूरा। और फिर रुक जाना। हरेक मामले में, परिणामों ने साधनों को परिभाषित किया। लेकिन अब साधन खुद मकसद बनने का जोखिम उठा रहे हैं। सिद्धांत के रूप में भटकाव : हम इसे 'हाइब्रिड वॉर', ग्रे ज़ोन या सोच-समझकर पैदा की गई अस्पष्टता कहते हैं। धरातल पर यह सरल दिखता है। सिद्धांत के आवरण में भटकाव। पश्चिम एशिया में, उद्देश्य बदलते रहते हैं जबकि विधायी नहीं। पीछे कुछ बाकी नहीं छोड़ी। कोई अन्य एजेंडा नहीं। प्रभाव अधिकतम, दखल न्यूनतम। यहां तक कि श्रीलंका में भी, जहां पर

नहीं होती। असफलता तब स्वाभाविक प्रक्रिया बन जाती है। क्षमता का विरोधाभास : संघर्ष समाप्त करने के लिए हमारे पास पहले से कहीं अधिक संसाधन हैं, फिर भी हम उन्हें समाप्त करने में असमर्थ हैं। ड्रोन, साइबर ऑपरेशन और सटीक हमले घोषित युद्ध से इतर दबाव डालने का जरिया बन गए हैं। हम अनिश्चित काल तक न तो शांति और न ही युद्ध की स्थिति बनाए रख सकते हैं। यह एक तरह का जाल है। क्षमता ने निर्णय लेने की शक्ति का स्थान ले लिया है। युद्ध रोकने को जवाबदेही की आवश्यकता पड़ती है। बताने की जरूरत पड़ती है कि क्या पाया और क्या खोया। इसके लिए जिम्मेवारी लेने की जरूरत होती है। किसी नतीजे की घोषणा करने के मुकाबले में यह कह देना आसान है कि परिस्थिति स्वरूप बदल रही है। आमजन पर असर की हकीकत : रणनीति यह भूल जाती है कि इस भटकाव की कीमत कौन चुकाएगा। रणनीतिकार मैदान ए जंग की बातें करता है। नागरिक इसकी अवधि की कीमत चुकाता है। चाय के चेहर पर रहत की झलक दिखाई देने लगी। एक बड़ा संकेत टल चुका था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इस पूरे अभियान में सभी लोग सुरक्षित रहे। यह केवल एक तकनीकी जीत नहीं थी, बल्कि यह मानवीय साहस, कर्तव्य और सम्यक निर्णय की अद्भुत मिसाल बन गई। कावेरी नदी उस समय अपने रौद्र रूप में थी। आसमान से लगातार बरसते बादलों ने नदी को उपहन पर ला दिया था। जल का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और हर गुजरते ही के साथ खराब और गंभीर होता जा रहा था। कृष्णाराज सागर बांध, जो वर्षों से लोगों के लिए जीवन का आधार बना हुआ था, अब उसी जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा था। यदि जल का स्तर कुछ और बढ़ता, तो बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगता, और फिर जो तबाही होनी, उसकी कल्पना भी भयावह थी। गांव, शहर, खेत, घर—सब कुछ पानी की विनाशकारी लहरों में बह सकता था। इस गंभीर परिस्थिति में महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सामने एक कठिन चुनौती थी। वे जानते थे कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि तुरंत और सटीक निर्णय लेने का है। उन्होंने अपने सभी अधीनस्थ इंजीनियरों की एक आपात बैठक बुलाई।

## प्रेरणा

# निर्णय का वह क्षण जो इतिहास बदल देता है

जीवन में कुछ क्षण ऐसे आते हैं जब समय जैसे थम जाता है और मनुष्य के सामने केवल दो ही रास्ते होते हैं—या तो वह भय के आगे झुक जाए या फिर साहस के साथ खड़ा होकर परिस्थिति को बदल दे। ऐसे ही एक निर्णायक क्षण की कहानी कावेरी नदी में आई भीष्मबाहू बाढ़ के दौरान सामने आई, जब एक सही निर्णय ने न केवल एक बांध को बचाया बल्कि हजारों लोगों के जीवन को सुरक्षित कर दिया। यह घटना केवल एक तकनीकी सफलता नहीं थी, बल्कि यह मानवीय साहस, कर्तव्य और सम्यक निर्णय की अद्भुत मिसाल बन गई। कावेरी नदी उस समय अपने रौद्र रूप में थी। आसमान से लगातार बरसते बादलों ने नदी को उपहन पर ला दिया था। जल का स्तर तेजी से बढ़ रहा था और हर गुजरते ही के साथ खराब और गंभीर होता जा रहा था। कृष्णाराज सागर बांध, जो वर्षों से लोगों के लिए जीवन का आधार बना हुआ था, अब उसी जीवन के लिए खतरा बनता जा रहा था। यदि जल का स्तर कुछ और बढ़ता, तो बांध के टूटने का खतरा मंडराने लगता, और फिर जो तबाही होनी, उसकी कल्पना भी भयावह थी। गांव, शहर, खेत, घर—सब कुछ पानी की विनाशकारी लहरों में बह सकता था। इस गंभीर परिस्थिति में महान इंजीनियर मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया के सामने एक कठिन चुनौती थी। वे जानते थे कि यह समय घबराने का नहीं, बल्कि तुरंत और सटीक निर्णय लेने का है। उन्होंने अपने सभी अधीनस्थ इंजीनियरों की एक आपात बैठक बुलाई।

केवल साहस का प्रदर्शन नहीं थे, बल्कि यह एक ऐसे व्यक्ति की पहचान थे जो अपने कर्तव्य को सबसे ऊपर रखता है। विश्वेश्वरैया के लिए यह क्षण अत्यंत कठिन था। एक ओर हजारों लोगों की सुरक्षा का प्रश्न था, तो दूसरी ओर एक सम्पत्ति इंजीनियर का जीवन। वे कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके होंठ जैसे शब्दों को बाहर आने से रोक रहे थे। यह एक ऐसा दृढ़ था जिसमें एक नेता का हृदय और उसकी जिम्मेदारी आमने-सामने खड़े थे। लेकिन केतकर ने इस मौन को अपने संकल्प के आगे बाधा नहीं बने दिया। उन्होंने आदेश की प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने समझ लिया कि समय बहुत कम है और हर पल कीमती है। वे तुरंत दरवाजों की ओर दौड़ पड़े। यह निर्णय केवल साहस का नहीं, बल्कि समय की गहराई को समझने वाली सूझबूझ का प्रतीक था। उनके इस कदम ने बाकी लोगों को भी प्रेरित किया। जैसे ही वे आगे बढ़े, उनके पीछे नौ-दस अन्य जवान भी दौड़ पड़े। यह दृश्य वह बताने के लिए काफी था कि सच्चा साहस दूसरों को भी प्रेरित करता है। जब एक व्यक्ति निर्भय होकर आगे बढ़ता है, तो वह दूसरों को और कर्तव्य के बीच संघर्ष कर रहा था। तभी उन सफेद पट्टे को तोड़ते हुए मैकेनिकल इंजीनियर भालचंद्र पंत केतकर खड़े हुए। उनके चेहरे पर दृढ़ निश्चय था और आंखों में आत्मविश्वास की चमक। उन्होंने शांत लेकिन स्पष्ट स्वर में कहा, "सर, मुझे आदेश मिले, मैं यह कार्य कर सकता हूं।" यह शब्द

## ट्रंप ने दिया मौका, भारत के गहरे दोस्त देश में घुसने की तैयारी में चीन, अपना Airspace अचानक इस बड़े प्लान के लिए किया बंद?

दुनिया अभी ईरान, इजराइल और अमेरिका के जंग की गवाह बनी हुई है। इस युद्ध को एक महीना से ज्यादा बीत चुका है। लेकिन कहीं से राहत की कोई अच्छी खबर नहीं आ रही। इस बीच चीन ने चाँकते हुए बिना कोई वजह बताए 40 दिनों के लिए समुद्र के ऊपर के हवाई क्षेत्र के एक बड़े हिस्से को बंद कर दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या चीन ने मिडिल ईस्ट का फायदा उठाकर ताइवान को घेरने की तैयारी कर ली है? ताइवान पर कब्जा करने की तैयारी कर ली है। क्योंकि बता दें कि अचानक 40 दिनों के लिए चाइना ने अपना एयर स्पेस बंद करने का ऐलान किया है। ताइवान के पास युद्धपोत देखे गए हैं और बिना किसी ऐलान के यह सैन्य हलचल हो रही है। क्या यह सिर्फ एक अभ्यास है या फिर किसी बड़े एवषान की तैयारी। सबसे बड़ा अलार्म जो है वो यह है कि चीन ने समुद्र के ऊपर एक बड़े हिस्से का एयर स्पेस लगभग 40 दिनों के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया है और यह कोई सामान्य बात नहीं है। आमतौर पर बता दें कि एक से 3 दिन के छोटे अभ्यास होते हैं। लेकिन 40 दिन ये सीधे-सीधे इशारा करता है बड़े पैमाने पर सैन्य अभ्यास या फिर नई मिसाइल या फिर वॉर टेक्नोलॉजी टेस्ट का और यह नोटम जो है यानी कि नोटिस टू एयर मिशनस के जरिए जारी किया गया है जो पायलट्स को खतरों की चेतावनी देता है। रिपोटर्स के मुताबिक ईरान युद्ध के बीच चीन ने 27 मार्च से 6 मई तक 40 दिनों के लिए अपना एयर स्पेस बंद किया है। यह इलाका ताइवान से भी बड़ा है और शंघाई के उत्तर दक्षिण में फैला हुआ है। सवाल उठ रहा है कि क्या चीन का यह कदम ताइवान पर कब्जे की चीन की मुद्दा केवल एक नियम का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक व्यापक सामाजिक विमर्श का हिस्सा है। यह हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने धार्मिक स्थलों को किस रूप में देखना चाहते हैं—क्या वे केवल एक विशेष समुदाय के ब्लॉक रखा जाता है। लेकिन 40 दिन के लिए ऐसा करना किसी बड़े पैमाने पर आध्यात्मिक केंद्र बनने, जहां हर व्यक्ति सम्मान और श्रद्धा के साथ प्रवेश कर सके। भारत की पहचान उसकी विविधता और सहिष्णुता में है। यहां हर धर्म, हर संस्कृति और हर परंपरा को स्थान मिला है। ऐसे में यह जरूरी है कि हम किसी भी निर्णय को इस दृष्टिकोण से देखें कि वह हमारी इस पहचान को मजबूत करता है या कमजोर। आस्था का सम्मान करना जिना जरूरी है, उतना ही जरूरी है समाज में समरसता और एकता को बनाए रखना। यही वह संतुलन है, जो हमें आगे बढ़ने का सही मार्ग दिखा सकता है।

# सूरत में विश्व नवकार महामंत्र दिवस: शांति अहिंसा और आध्यात्मिक एकता का भव्य महाजाप

सूरत का सुबह का दृश्य कुछ अलग ही था। 9 अप्रैल 2026 की ताजी हवा में जैसे ही सूरज की किरणें इंडोर स्टेडियम की छत पर पड़तीं, पूरा परिसर एक शांत, हल्की रोशनी और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया था। शहर के कोने-कोने से लोग अपने परिवारों के साथ पहुँच रहे थे—कुछ तो बच्चों के साथ, कुछ बुजुर्गों के साथ, और कुछ युवा अपनी मित्र मंडली में। हर चेहरे पर उत्साह और श्रद्धा झलक रही थी। यह कोई आम दिन नहीं था, बल्कि विश्व नवकार महामंत्र दिवस का दिन था, जो शांति, अहिंसा और आध्यात्मिक चेतना का प्रतीक माना जाता है।

जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गनाइजेशन (JITO) सूरत ने इस आयोजन की तैयारियों में महीनों की मेहनत की थी। इंडोर स्टेडियम को सजाने के लिए हर दिशा में फूलों और बैनरों से श्रृंगार किया गया था। मंच पर जहाँ मुख्य महाजाप होगा, वहाँ दीपमालाएँ जलाई गईं और पवित्र स्थान का निर्माण किया गया। लोग जब अंदर प्रवेश कर रहे थे, तो उनके हाथों में छोटे-छोटे मंत्र की किताबें थीं, जिनमें

“नवकार महामंत्र” लिखा हुआ था। जैसे ही समय ने 7:29 बजे का अंश दिखाया, पूरे स्टेडियम में शांति का वातावरण फैल गया। हजारों श्रावक-श्राविकाएँ, युवा और परिवार अपनी जगहों पर बैठे, और एक साथ महाजाप शुरू हुआ। मंत्रों की ध्वनि इतनी गूँज रही थी कि बाहर के शोर-शराबे से पूरा वातावरण अलग ही लग रहा था। हर कोई अपनी साँसों, अपने ध्यान और अपने मन को नवकार महामंत्र में समर्पित कर रहा था। इस भव्य महाजाप का उद्देश्य सिर्फ धार्मिक आस्था तक सीमित नहीं था। आयोजकों ने बताया कि इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक स्तर पर शांति, सद्भाव, अहिंसा और आध्यात्मिक चेतना का संदेश फैलाना है। इस साल, यह दिन 108 से अधिक देशों में मनाया जा रहा था, और लगभग 10 करोड़ लोगों की भागीदारी का लक्ष्य रखा गया। यह केवल एक महाजाप नहीं था, बल्कि एक वैश्विक स्तर पर आध्यात्मिक एकता के उत्सव का प्रतीक बन गया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह वचुअल माध्यम से उपस्थित थे,



माननीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी की गरिमामयी वचुअल उपस्थिति

## विश्व स्वास्थ्य दिवस पर भावनगर रेलवे मंडल अस्पताल में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित

विश्व स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर दिनांक 07 अप्रैल, 2026 (मंगलवार) को मंडल रेलवे अस्पताल, भावनगर के ऑडिटोरियम कक्ष में मंडल रेलवे प्रबंधक श्री दिशा वर्मा के मार्गदर्शन एवं मंडल रेलवे अस्पताल के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. मनोज कुमार की देखरेख में एक जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस वर्ष की थीम “Together for Health – Stand with Science” रही, जिसका उद्देश्य वैज्ञानिक दृष्टिकोण के माध्यम से स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का शुभारंभ डॉ. कृपा (ईएनटी सर्जन) द्वारा किया गया। उन्होंने कार्यक्रम का परिचय प्रस्तुत करते हुए स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहने के महत्व पर प्रकाश डाला। इस अवसर पर डॉ. संदीप (डीएमओ, भावनगर) एवं डॉ. मोनिका (डीएमओ, भावनगर) द्वारा विस्तृत एवं जानकारीपूर्ण व्याख्यान प्रस्तुत किए गए। उन्होंने अपने संबोधन में बताया कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में वैज्ञानिक तथ्यों एवं प्रमाण-आधारित चिकित्सा (Evidence-Based Medicine) का पालन अत्यंत



आवश्यक है। साथ ही उन्होंने अफवाहों, भ्रामक जानकारी एवं सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही गलत स्वास्थ्य सलाह से बचने की अपील की। उन्होंने यह भी बताया कि स्वस्थ जीवनशैली के लिए संतुलित आहार, नियमित व्यायाम, मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान एवं समय-समय पर स्वास्थ्य जांच अत्यंत आवश्यक है। उन्होंने उपस्थित कर्मचारियों एवं मरीजों को वैज्ञानिक सोच अपनाने तथा स्वास्थ्य संबंधी निर्णयों को अज्ञान के आधारित तथ्यों से लेने के लिए प्रेरित किया। कार्यक्रम के समापन पर रेलवे अस्पताल

## पश्चिम रेलवे द्वारा छह जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे विस्तारित

पश्चिम रेलवे द्वारा यात्रियों की सुविधा तथा अतिरिक्त भीड़ को समायोजित करने के उद्देश्य से विभिन्न गंतव्यों के बीच चलने वाली 6 जोड़ी स्पेशल ट्रेनों के फेरे को विस्तारित किया है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार, इन ट्रेनों का विवरण निम्नानुसार है:

1. ट्रेन संख्या 09189 मुंबई सेंट्रल-कटिहार साप्ताहिक स्पेशल को 16 मई से 25 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09190 कटिहार-मुंबई सेंट्रल साप्ताहिक स्पेशल को 19 मई से 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09183 मुंबई सेंट्रल-बनारस साप्ताहिक स्पेशल को 20 मई से 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09184 बनारस-मुंबई सेंट्रल

साप्ताहिक स्पेशल को 22 मई से 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

3. ट्रेन संख्या 09093 उधना-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल को 15 मई से 31 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09094 अयोध्या कैंट-उधना साप्ताहिक स्पेशल को 16 मई से 01 अगस्त, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
4. ट्रेन संख्या 09097 उधना-अयोध्या कैंट साप्ताहिक स्पेशल को 19 मई से 28 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09098 अयोध्या कैंट-उधना साप्ताहिक स्पेशल को 20 मई से 29 जुलाई, 2026 तक विस्तारित किया गया है।
5. ट्रेन संख्या 09465 अहमदाबाद-दरभंगा साप्ताहिक स्पेशल को 15 मई से 26 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन

संख्या 09466 दरभंगा-अहमदाबाद साप्ताहिक स्पेशल को 18 मई से 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

6. ट्रेन संख्या 09451 गांधीधाम-भागलपुर साप्ताहिक स्पेशल को 15 मई से 26 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 09452 भागलपुर-गांधीधाम साप्ताहिक स्पेशल को 18 मई से 29 जून, 2026 तक विस्तारित किया गया है।

ट्रेन संख्या 09189, 09183, 09093, 09097, 09465 एवं 09451 के विस्तारित फेरे की बुकिंग 08.04.2026 से सभी पीआरएस काउंटरों तथा आईआरसीटीसी वेबसाइट पर प्रारंभ होगी। ट्रेनों के समय, ठहराव एवं रोक संरचना से संबंधित विस्तृत जानकारी के लिए यात्री [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।

कर्म धारकों को मासिक किस्त पर पड़ता है। MCLR यानी Marginal Cost of Funds based Lending Rate यह न्यूनतम ब्याज दर होती है, जिसके नीचे बैंक किसी भी लोन पर ब्याज नहीं ले सकता। इसे भारतीय रिजर्व बैंक ने वर्ष 2016 में लागू किया था ताकि ऋण दरों में पारदर्शिता बनी रहे और कर्जधारक यह समझ सकें कि उनका ब्याज किस आधार पर तय हो रहा है। इस बदलाव से होम लोन लेने वाले लाखों परिवारों को अब राहत मिलेगी। मनीष और संजना, जो दिल्ली के बाहरी इलाके में रहते हैं, पिछले दो साल से अपने नए फ्लैट के लिए EMI चुका रहे हैं। मनीष कहते हैं, “अभी तक हमारी EMI हर महीने बढ़ती जा रही थी। बिजली, गैस, राशन और बच्चों की स्कूल फीस का खर्च जोड़ें, तो महीने का बजट काफी तंग हो गया था। अब बैंक ने MCLR घटाकर राहत दी है। हमारी EMI में हर महीने करीब 1500-2000 रुपये की बचत होगी। यह हमारे लिए बहुत बड़ी मदद है।” इतना ही नहीं, इस कदम से आर्टो लोन और पर्सनल लोन लेने वाले भी लाभान्वित होंगे। छोटे व्यवसायों और प्रोफेशनल जिनकी आमदनी साप्ताहिक या मासिक आधार पर होती है, उनके लिए भी यह राहत बड़ी मायने रखती है।

## एचडीएफसी बैंक ने MCLR में कटौती की, कर्जियों के चेहरे पर आई मुस्कान

नई दिल्ली। वित्तीय बाजारों में बढ़ती अनिश्चितता और आम लोगों की बढ़ती आर्थिक चिंता के बीच देश के प्रमुख निजी क्षेत्र के बैंक एचडीएफसी बैंक ने कर्जियों के लिए राहत का बड़ा कदम उठाया है। बैंक ने मार्जिनल कॉस्ट ऑफ फंड्स बेस्ड लेंडिंग रेट (MCLR) में 5 बेसिस पॉइंट तक की कटौती की घोषणा की है, जो 7 अप्रैल 2026 से प्रभावी हो गई। इस कदम का सबसे बड़ा लाभ उन ग्राहकों को मिलेगा जिनके होम लोन, आर्टो लोन या पर्सनल लोन फ्लोटिंग रेट पर आधारित हैं। इस बदलाव से उनकी मासिक किस्त यानी EMI में कमी आएगी और परिवारों के बजट पर तत्काल राहत महसूस होगी। बैंक की ओर से जारी जानकारी के अनुसार ओवरनाइट और एक माह की MCLR को 8.15 प्रतिशत से घटाकर 8.10 प्रतिशत किया गया है, जबकि तीन माह की अवधि के लिए दर 8.25 प्रतिशत से घटकर 8.20 प्रतिशत कर दी गई है। छह माह, एक वर्ष, दो वर्ष और तीन वर्ष की MCLR यथावत रखी गई है। इस तरह बैंक की MCLR रेंज अब 8.10 प्रतिशत से 8.55 प्रतिशत के बीच आ गई है। बैंक का वेब रेट फ्लैटल 8.80 प्रतिशत और P/L 17.30 प्रतिशत है। विशेषज्ञों के अनुसार, MCLR में कटौती का असर सीधे

## भावनगर रेलवे मंडल के जेतलसर में नवीन आरसीसी ओवरहेड टैंक का सफलतापूर्वक निर्माण एवं कमीशनिंग

यात्रियों एवं रेलवे कर्मचारियों को बेहतर जल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध कराने की दिशा में पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल द्वारा जेतलसर स्टेशन पर एक महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण किया गया है। पुराने सी-वेल स्टील टैंक के स्थान पर आधुनिक आरसीसी ओवरहेड (OH) टैंक का सफलतापूर्वक निर्माण एवं कमीशनिंग की गई है। इस परियोजना के अंतर्गत निर्मित आरसीसी ओवरहेड टैंक की क्षमता 2.25 लाख लीटर तथा संप (Sump) की क्षमता 2.50 लाख लीटर है। टैंक की ऊंचाई 20 मीटर है, जिससे जल आपूर्ति में पर्याप्त दबाव एवं निरंतरता सुनिश्चित की जा सकेगी। इस कार्य पर लगभग 90 लाख रुपये की लागत आई है। परियोजना का कार्य 06 मई 2025 को प्रारंभ हुआ था तथा 08 दिसंबर 2025 को पूर्ण किया गया। इसके



पश्चात 31 मार्च 2026 को इस टैंक को सफलतापूर्वक चालू (Commission) कर दिया गया। इस नई व्यवस्था के माध्यम से कुल

116 कनेक्शन प्रदान किए गए हैं, जिनमें 113 स्टाफ क्वार्टर तथा 03 सेवा भवन (सीएचआई कार्यालय, जीआरपी कार्यालय एवं एससी/एसटी कार्यालय) शामिल हैं। यह परियोजना न केवल जल आपूर्ति प्रणाली को सुदृढ़ बनाएगी, बल्कि रेलवे कर्मचारियों एवं संबंधित कार्यालयों को बेहतर सुविधा प्रदान कर उनके कार्य निष्पादन में भी सहायक सिद्ध होगी। पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल निरंतर यात्रियों एवं कर्मचारियों की सुविधाओं के उन्नयन हेतु प्रतिबद्ध है और इस प्रकार की विकासात्मक एवं सुविधाजनक रेल अवसंरचना विकसित करने की दिशा में निरंतर प्रयासरत है।

## पश्चिम रेलवे के टिकट जांच कर्मियों का उत्कृष्ट प्रदर्शन श्री अशुतोष कुमार सिंह एवं श्री लक्ष्मण कुमार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्राप्त किया 1 करोड़ से अधिक का जुमाना

पश्चिम रेलवे ने आय के अनुकूलन के साथ यात्रियों में अनुशासन को सुदृढ़ करते हुए लगातार एक मानक स्थापित किया है, जिसमें अनियमितताओं को रोकने में अपने कर्मचारियों की महत्वपूर्ण भूमिका पश्चिम रेलवे की परिचालन दक्षता एवं सेवा उत्कृष्टता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती है। पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी श्री विनीत अभिषेक द्वारा जारी एक प्रेस विज्ञापित के अनुसार, पश्चिम रेलवे के टिकट जांच कर्मियों ने सभी 6 मंडलों—मुंबई सेंट्रल, वडोदरा, अहमदाबाद, राजकोट, भावनगर और रतलाम तथा मुख्यालय की फ्लाइंग स्क्वाड में सराहनीय प्रदर्शन करते हुए रेलवे बोर्ड के लक्ष्यों को पार किया है।



चंचंगेट स्थित फ्लाइंग स्क्वाड के दो टिकट जांच कर्मी श्री अशुतोष कुमार सिंह एवं श्री लक्ष्मण कुमार ने वित्तीय



वर्ष 2025-26 के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। उप मुख्य टिकट निरीक्षक (DCTI) श्री अशुतोष

कुमार सिंह ने बिना टिकट एवं दोनो टिकट जांच कर्मियों का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी निष्ठा, नियमों एवं विनियमों के गहन ज्ञान तथा अनियमित यात्रियों के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से है। उनके निरंतर प्रतिदिन औसतन लगभग 40,000 की राशि प्राप्त की, जिसमें प्रतिदिन औसतन 34 मामलों का पता लगाया गया। इसी प्रकार, उप मुख्य टिकट कुमार ने बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के लगभग 12,800 मामलों का पता लगाया, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं तथा 1.17 करोड़ का जुमाना प्राप्त किया। उन्होंने प्रतिदिन औसतन लगभग 40,000 की राशि प्राप्त की, जिसमें प्रतिदिन औसतन 34 मामलों का पता लगाया गया। इसी प्रकार, उप मुख्य टिकट कुमार ने बिना टिकट एवं अनियमित यात्रा के लगभग 12,800 मामलों का पता लगाया, जिनमें बिना बुक किए गए सामान के मामले भी शामिल हैं तथा उनसे 1.08 करोड़ का जुमाना प्राप्त किया। उन्होंने प्रतिदिन लगभग 37,500 की राशि प्राप्त की, जिसमें प्रतिदिन 40 से अधिक मामलों का

पता लगाया गया। दोनो टिकट जांच कर्मियों का यह उत्कृष्ट प्रदर्शन उनकी निष्ठा, नियमों एवं विनियमों के गहन ज्ञान तथा अनियमित यात्रियों के प्रभावी प्रबंधन की दृष्टि से है। उनके निरंतर प्रयासों ने आय के रिसाव को कम करने तथा वास्तविक यात्रियों के लिए एक अनुशासित और निष्पक्ष यात्रा वातावरण सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पश्चिम रेलवे अपने टिकट जांच कर्मियों के ईमानदार प्रयासों एवं समर्पण की सराहना करती है और यात्री अनुभव को और बेहतर बनाने तथा उनसे 1.08 करोड़ का जुमाना सुनिश्चित करने के लिए टिकट जांच गतिविधियों को और सुदृढ़ करने के लिए प्रतिबद्ध है।

## NHSRCL परियोजना कार्य के चलते अहमदाबाद मंडल की ट्रेनें प्रभावित

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद मंडल में National High Speed Rail Corporation Limited (NHSRCL) परियोजना के अंतर्गत गेरतपुर-अहमदाबाद रेलखंड पर प्रीकास्ट पोटल बीम स्थापित करने हेतु आवश्यक कार्य किया जाना प्रस्तावित है। इस कार्य के लिए दिनांक 08 अप्रैल, 2026 (बुधवार) को ट्रैफिक ब्लॉक लिया जाएगा। जिसके कारण अहमदाबाद मंडल से संबंधित निम्नलिखित ट्रेनें प्रभावित रहेंगी:

**निरस्त ट्रेनें**

- ट्रेन संख्या 69102 वटवा-वडोदरा मेमू, दिनांक 08.04.2026 को निरस्त रहेगी।
- ट्रेन संख्या 69115 वडोदरा-वटवा मेमू, दिनांक 08.04.2026 को निरस्त रहेगी।

**आंशिक रूप से निरस्त ट्रेनें**

- ट्रेन संख्या 19033 वलसाड-अहमदाबाद गुजरात क्वीन, दिनांक

08.04.2026 को वडोदरा-अहमदाबाद के बीच आंशिक रूप से निरस्त रहेगी।

**पुनर्निर्धारित (री-शेड्यूल) ट्रेनें**

- ट्रेन संख्या 12009 मुंबई सेंट्रल-अहमदाबाद शताब्दी एक्सप्रेस, दिनांक 08.04.2026 को मुंबई सेंट्रल से अपने निर्धारित समय से लगभग 1 घंटा 15 मिनट देरी से प्रस्थान करेगी।

**विनियमित (रेगुलेट) ट्रेनें**

- ट्रेन संख्या 19484 सहरसा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 2 घंटे 10 मिनट विनियमित की जाएगी।
- ट्रेन संख्या 12834 हावड़ा-अहमदाबाद एक्सप्रेस, दिनांक 08.04.2026 को वडोदरा मंडल में लगभग 2 घंटे 10 मिनट विनियमित की जाएगी।

ट्रेनों के समय, ठहराव एवं अन्य जानकारी के लिए [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) का अवलोकन करें।

## पश्चिम रेलवे द्वारा दो जोड़ी साप्ताहिक स्पेशल ट्रेनों के की ट्रीप चलाई जाएगी।

ट्रेन नं.	से	तक	चलाने के दिन	से विस्तृत
09465	अहमदाबाद	दरभंगा	शुक्रवार	15.05.26 से 26.06.26 तक
09466	दरभंगा	अहमदाबाद	सोमवार	18.05.26 से 29.06.26 तक
09451	गांधीधाम	भागलपुर	शुक्रवार	15.05.26 से 26.06.26 तक
09452	भागलपुर	गांधीधाम	सोमवार	18.05.26 से 29.06.26 तक

समय और ठहराव के बारे में विस्तृत जानकारी के लिए यात्री कृपया [www.enquiry.indianrail.gov.in](http://www.enquiry.indianrail.gov.in) पर जाएं।

**पश्चिम रेलवे**

हमें लाइक और फॉलो करें

www.indianrailways.gov.in

Facebook.com/WesternRly

X.com/WesternRly

Instagram.com/WesternRly

https://www.youtube.com/WesternRly

https://tbit.ly/WesternRailwayOfficial

ट्रेन नंबर 09465 और 09451 के बड़े हुए ट्रिप की बुकिंग 08.04.2026 से PRS काउंटर और IRCTC वेबसाइट पर शुरू होगी। ऊपर बताई गई ट्रेनें स्पेशल किराए पर स्पेशल ट्रेनों के तौर पर चलाई जाएगी।

कृपया सभी आरक्षित टिकटों के लिए मूल पहचान पत्र साथ रखें

## चलती ट्रेन में चढ़ते समय गिरते यात्री की जान बचाई RPF जवानों की सतर्कता से टली बड़ी दुर्घटना

पश्चिम रेलवे के अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर दिनांक 06 अप्रैल, 2026 को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) के जवानों की तत्परता एवं साहस से एक यात्री की जान बचाई गई। प्रांत जानकारी के अनुसार, प्रातः लगभग 04:00 बजे ट्रेन संख्या 09009 के प्रस्थान के समय एक यात्री जनरल कोच में चढ़ते हुए प्लेटफॉर्म एवं ट्रेन के बीच बने गैप में गिरने लगा। इस दौरान प्लेटफॉर्म पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल किशोरी लाल बलाई ने तत्काल उसे बचाने का प्रयास किया, किन्तु ट्रेन की गति तेज होने के कारण यात्री उनकी पकड़ में नहीं आ सका। उसी समय मौके पर उपस्थित RPF की CPDS (Crime Prevention and Detection Squad) टीम के सहायक उप निरीक्षक रमन कुमार एवं कॉन्स्टेबल छोटा लाल, जो सदी वर्दी में ड्यूटी पर थे, ने अदृश्य साहस एवं तत्परता का परिचय



देते हुए तुरंत दौड़कर बिना अपनी जान की परवाह किए उक्त यात्री को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। बाद में यात्री से पूछताछ करने पर उसने अपना नाम महेंद्र (उम्र 42 वर्ष), निवासी

सूरत (गुजरात) बताया तथा यह भी बताया कि वह अपने परिवार के साथ सूरत से गांधीधाम तक की यात्रा कर रहा था और अहमदाबाद स्टेशन पर चय-नाश्ता लेने हेतु उतरा था। यात्री ने स्वयं को पूर्णतः सुरक्षित एवं बिना किसी चोट के बताया। अहमदाबाद मंडल के मंडल रेल प्रबंधक श्री वेद प्रकाश ने बताया कि ऐसे कर्तव्यनिष्ठ एवं सतर्क कर्मचारियों रेलवे की सुरक्षा व्यवस्था की रीढ़ हैं तथा यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह घटना RPF के जवानों की सतर्कता, कर्तव्यनिष्ठा एवं उत्कृष्ट सेवा भावना का प्रतीक है। दोनो जवानों द्वारा किया गया यह कार्य अत्यंत सराहनीय है तथा उन्होंने समय रहते एक अमूल्य जीवन को बचाकर मानवता की मिसाल प्रस्तुत की है।

